7/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 23/2/26 को पेश हो।
23/2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पुनश्च: उक्त आदेश आज पृथक से नहीं लिखवाया जा सका क्योंकि पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। पत्रावली दिनांक 5/3/26 को पेश हो।
5/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की पुनः बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्याः— 126/2025

प्रार्थीः—

1. भीकाराम पुत्र घेवरराम जाति दर्जी, निवासी—ग्राम पालड़ी, मांगलिया तहसील व जिला जोधपुर।
2. रूपाराम पुत्र घेवरराम जाति दर्जी, निवासी—ग्राम पालड़ी, मांगलिया तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत पालडी मांगलिया जरिये सरंपच ग्राम पंचायत पालडी मांगलिया, तहसील व जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांकः— 5/3/26

उपस्थितिः—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा, श्री शैतानराम चौधरी
2. अप्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैराकार।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा संख्या 41 रकबा 2.7438 तथा खसरा संख्या 41/2 रकबा 1.0765 हैक्टैयर वाके ग्राम पालडी मांगलिया, पटवार हल्का नारवा खिचियान भू0अ0नि0क्षेत्र माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है जो वर्तमान जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीगण की उक्त भूमिया के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 39/1 के रूप में सडक की भूमि स्थित है जो ग्राम पंचायत के अधीन की भूमि है उक्त सडक मौके पर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलायमान है, जो सड़क की भूमि खसरा संख्या 39/1 के पश्चात् प्रार्थीगण के खसरा संख्या 41/1 तथा 41/2 के मध्य में पूर्व में उत्तर जिस रास्ते जो सड़क की भूमि खसरा संख्या 39/1 के पश्चात् प्रार्थीगण के खसरा संख्या 41/1 तथा 41/2 के मध्य में पूर्व से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आगे जाती है। प्रार्थीगण के खसरों के मध्य से चल रही सड़क के खसरा संख्या 41/1 रकबा 0.1538 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। इस प्रकार खसरा संख्या 41/1 की सड़क मौके पर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 41 तथा 41/2 के मध्य से होते हुए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कदीम से डामर सड़क चलायमान है जिसका प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासी शुरू से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है। मौके पर खसरा संख्या 41/1 की सड़क की भूमि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कदीम से चलायमान है किन्तु राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन नक्शे में सहवन से एवं त्रुटिवश उक्त सड़क की भूमि को खसरा संख्या 41 के पूर्व दिशा में पूर्व से उत्तर दिशा की ओर चलायमान होना दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 41 के पूर्व दिशा में किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर चलायमान नही है एवं ना ही कभी भी चलायमान रहा। खसरा संख्या 41 के चिपते हुए दक्षिण दिशा में मौके पर खसरा संख्या 39/3 की भूमि स्थित है एवं खसरा संख्या 39/3 तथा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 41 की भूमि के मध्य पत्थरों का हत्था किया हुआ है। इस प्रकार खसरा संख्या 41 तथा खसरा संख्या 39/3 के मध्य किसी प्रकार के कोई रास्ते की भूमि स्थित नही है एवं मात्र सहवन एवं त्रुटिवश मौके पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलायमान खसरा संख्या 41/1 की भूमि को राजस्व नक्शे में पूर्व से उत्तर दिशा की ओर चलायमान होना दर्शित कर दिया गया है जो अशुद्धि मात्र है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें खसरा संख्या 41 व 41/2 के मध्य स्थित खसरा संख्या 41/1 की सड़क की भूमि को बमार्क अ से ब दर्शाया गया है जबकि राजस्व नक्शे में अशुद्ध रूप से दर्शित खसरा संख्या 41/1 को बमार्क असे स तथा ससेद के रूप में दर्शाया जा रहा है। इस नजरी नक्शे को इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार समझा जावें। वादग्रस्त भूमि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में आने से न्यायालय हाजा को यह प्रकरण सुनकर निस्तारित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी के खसरा संख्या 41 तथा 41/2 के मध्य से मौके पर डामर सड़क से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलायमान रास्ते की भूमि खसरा संख्या 41/1 के सम्बन्ध में राजस्व नक्शे में पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर अशुद्ध रूप से दर्शाये जा रही सड़क की भूमि को शुद्ध करते हुए उसे संलग्न नजरी नक्शे में बमार्क असेब के मध्य मौके पर वास्तविक रूप से स्थित रास्ते के स्थान पर दर्ज करने का संशोधन किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वयं को प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए मौके की भौतिक स्थिति को स्वीकार कर खसरा नं0 41 व 41/2 के मध्य डामर सडक संचालित होने के तथ्य को भी स्वीकार किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने मौखिक तर्कों के समर्थन में न्यायालय का ध्यान अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब की ओर आकृष्ट करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जीपीएस द्वारा प्राप्त की गई फोटोग्राफ्स के अनुसार विधमान रास्ते को राजस्व नक्शे मे शुद्धि करते हुए नक्शे के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। जिसके विरूद्ध राजकीय पैरोकार द्वारा अपने जवाब के अनुसार प्रकरण के निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अभिवचनों से यह जाहिर है कि खसरा नं. 41 तथा 41/2 के मध्य सडक अवश्य ही स्थित है। जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जीपीएस नक्शे से भी होती है जिस तथ्य को अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया है। हालांकि अप्रार्थी द्वारा लट्टा नक्शा में दर्ज खसरा नं. 41/1 को कच्चे रास्ते के रूप में संचालित होने का कथन किया गया है। किन्तु इस संबध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। प्रस्तुत रिकोर्ड से अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाते है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सद्भाविक प्रतीत होने के कारण स्वीकार योग्य है। ऐसी स्थिति में ऑन लाईन प्रकिया के दौरान राजस्व नक्शे में संधारित किये गये खसरा नं. 41/1 रास्ते के इन्द्राजात को विलोपित करते हुए मौके पर वर्तमान में खसरा नं. 41 तथा 41/2 के मध्य स्थित खसरा नं. 41/1 की भूमि को राजस्व नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण के रेकर्डेड खातेदारी के खसरा संख्या 41 तथा 41/2 के मध्य से मौके पर डामर सड़क से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चलायमान रास्ते की भूमि खसरा संख्या 41/1 के सम्बन्ध में राजस्व नक्शे में पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर अशुद्ध रूप से दर्शाये जा रही सड़क की भूमि को शुद्ध करते हुए उसे संलग्न नजरी नक्शे में बमार्क असेब के मध्य मौके पर वास्तविक रूप से स्थित रास्ते के स्थान पर दर्ज करे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऑन लाईन प्रकिया के दौरान राजस्व नक्शे में खसरा नं. 41/1 के इन्द्राजात को निरस्त करते हुए तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नक्शे में खसरा नं. 41 तथा खसरा नं. 41/2 के मध्य वर्तमान में विद्यमान एवं चलायमान डामर सडक को रास्ते के रूप खसरा संख्या 41/1 की भूमि इन्द्राज करे।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 5/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner